‘कोटा में बदहाल सड़कों से जनता का बुरा हाल, लोग हो रहे हैं हादसों का शिकार’

कोटा शहर की उधड़ी हुई सड़कों को लेकर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता से मुलाकात कर नाराजगी जताई है।

कोटा, (निसं)। कोटा शहर के बुरे हालात व टूटी सड़कों के निर्माण के लिये विधायक संदीप शर्मा सार्वजनिक कार्यालय पहुंच कर अतिरिक्त मुख्य अभियंता से मुलाकात की।

- विधायक संदीप शर्मा ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता से शहर की सड़कों को सुधारने की मांग की

विधायक संदीप शर्मा ने बताया कोटा शहर में सड़कों का बुरा हाल है जगह–जगह सड़कें खुदी हुई है सड़कों पर वाहन चालाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है रोजाना लोग खराब सड़कों पर चलनें से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे है कई लोग गंभीर रूप घायल हो कर चिकित्सालय में भर्ती हुए है तथा कई बार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा कोटा दक्षिण विधानसभा क्षैत्र में 30 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा की थी सार्वजनिक विभाग द्वारा सड़क निर्माण के नगर निगम कोटा से प्रस्ताव भी लिये विभाग की लापरवाही के कारण आज तक कोई भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया जिसके परिणामस्वरूप लोगों को रोजाना दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

विधायक संदीप शर्मा ने नाराजागी व्यक्त करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियंता को कोटा दक्षिण विधानसभा की बदहाल सड़कों के बारे में विस्तृत से बताया विधायक संदीप शर्मा नें विधानसभा क्षेत्र के तलवंडी, विज्ञाननगर, गणेश तलाब, तलवंडी ए, रावतभाटा मेन रोड सड़क, शिवपुरा, दादाबाड़ी मुख्य मार्ग, रामतलाई मुख्य मार्ग, कैथुनीपोल क्षेत्र का मुख्य मार्ग, भारत विकास परिषद चिकित्सालय के आस पास मार्ग, तीन बत्ती से दादाबाड़ी छोटे चौराहे तक की सड़क, दादाबाड़ी चौराये से मुख्य मार्ग, बालाकुंड बंसत विहार, संतोषी नगर से महावीर नगर विस्तार योजना वाली सड़क, केशवपुरा की मुख्य सड़क, शॉपिग सेन्टर की मुख्य सड़क, गुमानपुरा बाजार की मुख्य सड़क, श्रीनाथपुरम, आर.के.पुरम महावीर नगर, विज्ञान नगर, अनन्तपुरा, जवाहर नगर, आदि क्षेत्र की मुख्य सड़कों के निर्माण करवाने को कहा।

विधायक ने संदीप शर्मा ने राजस्थान सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा की केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी कें बजट का राजस्थान सरकार गलत उपयोग कर रही है। स्मार्ट सिटी के बजट को लोगों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में नही रखा जा रहा है केवल सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार चिन्तित नही है रोजाना लोग चौटील हो रहे है। शहर की सड़कों के हालाता के बार में रोजाना प्रमुख समाचार पत्रों बडें बडें लेख छपते है परन्तु सरकार इस संबध में कोई ध्यान नहीं दे रही है। विधायक संदीप शर्मा ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता को नाराजगी व्यक्त करते हुए तुरन्त शीघ्र सड़क निर्माण कराने की बात करते हुए कहा कि यदि सड़कों के हालात नही सुधारें तो जन आंदोलन किया जायेगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री जगदीश जिन्दल, वार्ड पार्षद योगेन्द्र खींची, विवेक मित्तल, रामबाबू सोनी, सुरेन्द्र कलवाल, दिलीप नायक, पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश चौधरी, मंडल अध्यक्ष महेन्द्र निर्भय, चमन केलवा, विजय यादव, सत्यनारायण पारीक अमित उराडिया, गोपाल श्रीवास्तव, राकेश शर्मा, गजेन्द्र सिंह, ईश्वर मीणा, निखिल अग्रवाल, राजकुमार सेन आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जिला कलेक्टर ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर हरिमोहन मीणा ने कहा कि सभी अधिकारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, फ्लैगशिप कार्यक्रमों से पात्र नागरिकों को लाभान्वित कर जन–समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। कार्यालयों में आने वाला कोई भी नागरिक निराश होकर नहीं लौटे साथ ही विकास कार्यों को समय पर पूरा करायें। जिला कलेक्टर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सभी विभाग सरकार की मंशा के अनुरूप इस प्रकार कार्य करें कि योजनाओं में पात्र नागरिक लाभान्वित होने से वंचित नहीं रहें। कार्यालयों में आना वाला नागरिक निराश होकर नहीं लौटे यदि आवेदन में किसी प्रकार की कमी हैं तो उसे दूर कर लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि विभागीय लक्ष्यों में जिला किसी भी मामले में पीछे नहीं रहे। अधिकारी नियमित भ्रमण कर विकास कार्यो की मॉनिटरिंग करें, कार्यों की गुणवत्ता को बनाये रखकर समयबद्ध कार्य पूरा करने के लिए कार्ययोजना बनाये।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, प्रधान मंत्री आवास योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाये। पंचायत समितिवार प्लान बनाकर जनप्रतिनिधियों को आधारभूत विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करवाकर उन्हें समय पर पूरा कराये। जिला कलक्टर ने शहरी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक कार्य स्मार्ट सिटी के मापदण्डों के अनुसार समय पर पूरे किए जायें।

नगर निगम क्षेत्र में चल रहे आधारभूत विकास कार्यों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद रखते हुए समय पर पूरा करायें जिससे आम नागरिकों को लाभ मिले। उन्होंने शहर में साफ–सफाई में सुधार करने की आवश्यकता बताते हुए घर–घर कचरा संग्रहण के साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में सफाई के लिए विशेष प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई योजना व रेन बसेरों में सरकार की मंशा के अनुरूप जरूरतमंद लोगों को गुणवत्ता युक्त भोजन व ठहरने की सुविधा मिले। उन्होंने जिले में चल रहे पेयजल योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, सड़क, भवन निर्माण एवं विद्युत सेवाओं के विस्तार कार्यों की समीक्षा कर निर्देश दिए कि लाभान्वित वर्ग को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ एक–दूसरे विभागों से संबंधित प्रकरणों का समय पर निराकरण कर लोगों को राहत प्रदान करें।

जिला कलेक्टर ने कोविड प्रबन्धन की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में टीकाकरण से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे, इसके लिए कार्ययोजना बनाकर संयुक्त रूप से प्रयास किए जायें। उन्होंने विद्यार्थियों को 21 व 22 जनवरी को टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाकर शत–प्रतिशत टीकाकरण करने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उक्त दिवसों में 15 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों को टीकाकरण के लिए अनिवार्य रूप से बुलाने के निर्देश दिए। दोनों दिवस जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से टीकाकरण करवाया जायेगा।

आज कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति बन्द रहेगी

कोटा, (निसं)। नगर विकास न्यास द्वारा अकेलगढ़ हैण्डवर्क्स पर जवाहर नगर फीड़र पर पाईप लाईन में फ्लोमीटर लगाने के लिए शट–डाउन लिया जायेगा। अधिशाषी अभियंता श्याम माहेश्वरी ने बताया कि फ्लोमीटर लगाने के लिए शट–डाउन गुरूवार 20 जनवरी को प्रातः 11 से सांय 5 बजे तक लिया जायेगा। इस कारण दादाबाड़ी, प्रताप नगर, किशोरपुरा, वक्फनगर, शक्ति नगर, जवाहर नगर, श्याम नगर, शिवपुरा व सीएड़ी कॉलोनी में जलापूर्ति नहीं हो सकेगी।

कार्यालय नगर पालिका कापरेन जिला बून्दी (राज.)

क्रमांकः–न.पा.का./2022/60 **आपत्ति सूचना** दिनांकः–18.01.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस पालिका में श्री पुरूषोत्तम शर्मा आ. श्री घनश्याम शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम हीरापुर कापरेन जिला बून्दी (राज.) द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर स्टेट ग्रान्ट एक्ट का पट्टा क्रमांक 15 दिनांक 6.2.2006 कुल क्षेत्रफल 3136 वर्गफुट का श्रीमती कौशल्या बाई पत्नि श्री भोलाशंकर जाति ब्राह्मण निवासी हीरापुर कापरेन से खरीद किया गया है। उक्त पट्टे का नामान्तरण श्री पुरूषोत्तम शर्मा आ. श्री घनश्याम शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम हीरापुर जिला बून्दी (राज.) अपने स्वयं के नाम करवाना चाहता है। जिसके संबंध में दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति 7 दिवस में कार्यालय नगर पालिका में प्रस्तुत कर सकते है। अवधि पश्चात आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कापरेन

प्रारुप-10

(नियम 6 (7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांकः /कृषि भू.रुपा. /2021/ न.पा.9033-35 **लोक सूचना** दि. 18.01.2022

स्वयं खातेदार श्री लक्की यादव आ. श्री बालमुकन्द जाति यादव निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटा रोड झालावाड़ जिला झालावाड़ ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर–कृषिक खाद्य प्रसंस्करण ईकाई उद्योग प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़	राजस्व ग्राम खैरासी	खसरा नम्बर 816/534	रकबा हैक्टयर 0.2529

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18/01/2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (अधिशासी अधिकारी) नगरपालिका झालरापाटन

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास कोटा

क्रमांक : LU2012/KOT/2021-22/100315 **लोक सूचना** **दिनांक** 19.01.2022

श्रीमती LALITADEVI पत्नी श्री ANANDILAL जाति KOLI निवासी 1383, GALI NO. 2KADAYABHAG, ROADWAYS DIPO KE PASS KUNHADI SHAMBHOOPURA KOTA ने कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात:–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	नांता, लाडपुरा (कोटा)	LALITADEVI W/O ANANDILAL KUNHADI KOTA	1187	4900	0.49
2	नांता, लाडपुरा (कोटा)	LALITADEVI W/O ANANDILAL KUNHADI KOTA	1189	7100	0.71
3	नांता, लाडपुरा (कोटा)	LALITADEVI W/O ANANDILAL KUNHADI KOTA	1190	7900	0.79
				कुल	1.99

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के आभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 19.01.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः–822 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः–19.1.2022

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा योजना विश्वकर्मा ऑटो मोबाइल नगर (टायर मार्केट) भूखण्ड/दुकान संख्या 27–बी मैसर्स अजन्ता टायर रिट्रेडिंग वर्क्स प्रो. श्री अली हुसैन को आवंटन पत्र क्रमांक 141 दिनांक 19.09.2013 को आवंटन किया गया था। आवंटी श्री अली हुसैन टायरवाला पुत्र श्री इब्राहीम भाई की मृत्यु दिनांक 14.11.2018 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान हकदार श्रीमती मुनीरा टायर वाला पुत्री स्व. श्री अली हुसैन टायरवाला एवं पत्नि श्री मुर्तजा टायरवाला द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि प्रस्तुत उक्त आवास के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई एतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर–अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 27–बी योजना विश्वकर्मा ऑटो मोबाइल नगर (टायर मार्केट) का नाम हस्तान्तरण श्रीमती मुनीरा टायर वाला पुत्री स्व. श्री अली हुसैन टायरवाला पत्नि श्री मुर्तजा टायरवाला के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव नगर विकास न्यास कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः–823 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः–19.1.2022

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा योजना विश्वकर्मा ऑटो मोबाइल नगर (टायर मार्केट) भूखण्ड/दुकान संख्या 69–ए मैसर्स जनता टायर रिट्रेडिंग वर्क्स प्रो. श्री शफक्कत हुसैन को आवंटन पत्र क्रमांक 108 दिनांक 19.09.2013 को आवंटन किया गया था। आवंटी श्री शफक्कत हुसैन पुत्र श्री इब्राहीम भाई की मृत्यु दिनांक 05.10.2020 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान हकदार श्री हातीम अली पुत्र स्व. श्री शफक्कत हुसैन द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि प्रस्तुत उक्त आवास के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई एतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर–अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 69–ए योजना विश्वकर्मा ऑटो मोबाइल नगर (टायर मार्केट) का नाम हस्तान्तरण श्री हातीम अली पुत्र स्व. श्री शफक्कत हुसैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव नगर विकास न्यास कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा–उत्तर

क्रमांकः ननिको (उ.)/जोन प्रथम/2022/11884-91 दिनांकः–19.01.2022

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 69–ए/स्टेट ग्रान्ट के तहत पट्टे बनवाने हेतु निम्नांकित व्यक्तियों के आवेदन लंबित है। जिनके प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान दस्तावेजों की जांच की जाकर सही पाये जाने पर पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। अतः निम्न के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उज्र/आपत्ति हो तो वह अपनी उज्रदारी/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन 7 दिवस में कार्यालय नगर निगम कोटा–उत्तर में प्रस्तुत कर सकते है। अवधि पश्चात आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	पता
1.	श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री रामनारायण	कैथुनीपोल कोटा
2.	श्री जावेद खान पुत्र श्री मोहम्मद ईलीयास	खण्ड गांवडी कोटा
3.	श्रीमती दीपा तिवारी पत्नी श्री गंगेश तिवारी	नयापुरा कोटा
4.	श्रीमती नफीसा बानो पत्नी श्री जुम्मा खान	बृजराजपुरा कोटा
5.	श्री महेन्द्र पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	बल्लभबाडी कोटाा
6.	श्री कैलाश पुत्र स्व. श्री बाबूलाल	नयापुरा कोटा
7.	श्रीमती नितू बंजारा पत्नी श्री राहूल बंजारा	कालपुरा नयापुरा कोटा
8.	श्री गिरिराज जांगीड पुत्र स्व. श्री रामपाल	खाई रोड कोटा
9.	श्री महेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री नन्दलाल	पुरानी सब्जीमण्डी कोटा
10.	श्रीमती इन्द्रा बाई पत्नी श्री पप्पुलाल	नयापुरा कोटा
11.	श्री गोबरीलाल पुत्र श्री ताराचन्द	लाडपुरा कोटा
12.	श्रीमती तबस्सुम पत्नी स्व. श्री फजले नईम	लाडपुरा कोटा
13.	श्री घांसीलाल पुत्र श्री ताराचन्द	नयापुरा कोटा
14.	श्रीमती जाहिदा बेगम पत्नी श्री हयातुर्रहमान	श्रीपुरा कोटा
15.	श्री अब्दुल गफूर पुत्र श्री अब्दुल कय्यूम	गुमानपुरा कोटा
16.	श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री गेंदे खां	बल्लभबाडी कोटा
17.	श्री अम्बालाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दलाल मेहता	इन्द्रा मार्केट कोटा
18.	श्री फूलचन्द पुत्र श्री मोहनलाल	बल्लभबाडी कोटा
19.	श्री युसुफ मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल हकीम	श्रीपुरा कोटा
20.	श्री जितेन्द्र चौधरी पुत्र श्री सुभाषचन्द	भीमगंजमण्डी कोटा
21.	श्री इकराम अली पुत्र श्री इमाम बक्श	चन्द्रघटा कोटा
22.	श्री परवेज अख्तर पुत्र श्री अब्दुल मजीद	चन्द्रघटा कोटा
23.	श्री शेख सईदुल पुत्र श्री शेख मुफीजउद्दीन	चन्द्रघटा कोटा
24.	श्री बालकिशन पुत्र श्री चौथमल	रामपुरा कोटा
25.	श्री सलीम मोहम्मद पुत्र श्री भंवर लाल	बल्लभबाडी कोटा
26.	श्री अनवर हुसैन पुत्र श्री नूर मोहम्मद	बल्लभबाडी कोटा
27.	श्री अनवर हुसैन एवं जाकिर हुसैन पुत्र श्री शुभान	बल्लभबाडी कोटा
28.	श्री हैदर अली पुत्र श्री इकबाल हुसैन	भीमगंजमण्डी कोटा
29.	श्री असगर अली पुत्र श्री इकबाल हुसैन	कोटा जं. कोटा
30.	श्री विशाल गुप्ता पुत्र श्री विमलेश गुप्ता	भीमगंजमण्डी कोटा
31.	श्री प्रभूलाल पुत्र श्री नन्दलाल	खाई रोड कोटा
32.	श्री शमशुद्दीन पुत्र श्री मुन्ना गुलाम नबी	टिपटा कोटा
33.	श्रीमती लता चतुर्वेदी पत्नी श्री बृज सुन्दर	खेडली फाटक कोटा
34.	श्री विनायक चतुर्वेदी पुत्र श्री बृज सुन्दर	खेडली फाटक कोटा
35.	श्री अब्दुल गफ्फार पुत्र श्री अब्दुल गनी	बजाज खाना कोटा
36.	श्रीमती सन्नो पत्नी श्री अब्दुल सलाम	चन्द्रघटा कोटा
37.	श्री अनवर अली पुत्र श्री अब्दुल मजीद	घण्टाघर कोटा
38.	श्री अब्दुल मतीन पुत्र श्री अब्दुल सत्तार	बजाज खाना कोटा
39.	श्री रामनारायण पुत्र स्व. श्री रेवडीलाल	भीमगंजमण्डी कोटा
40.	श्री मनोहर गोटेवाला पुत्र श्री शिखरचन्द जैन	बजाज खाना कोटा

उक्त आवेदन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों/निर्णय के विरुद्ध पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

उपायुक्त नगर निगम कोटा–उत्तर जोन प्रथम

नाम परिवर्तन

विवाह से पूर्व मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम समता पोद्दार था एवं विवाह के पश्चात समस्त दस्तावेजों में एवं आधार कार्ड में मेरा नाम समता मित्तल लिखा हुआ है आगे से मुझे समता मित्तल के नाम से ही जाना जाए।

पता– श्रीमती समता मित्तल पत्नी श्री विजय कुमार मित्तल निवासी मकान नंबर 397 उमा क्लीनिक के पास बालकुंड मेन रोड दादाबाड़ी, कोटा

कार्यालय तहसीलदार (भू–अभिलेख)

रामगंजमंडी, जिला–कोटा (राज.)

फोन–07459-220108

क्रमांक/भू.अ/4734 दिनांक 17.1.22

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सोभाग्य कुमार पुत्र श्री राम कुंवार, श्रीमति निर्मला पत्नि सोभाग्य कुमार जाति महाजन निवासी चेचट द्वारा तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों की माता/सास श्रीमती केसर बाई, पत्नि राम कुंवार जाति महाजन निवासी चेचट के नाम ग्राम चेचट में खसरा नम्बर 313 रकबा 2.19 हेक्टर भूमि दर्ज रेकार्ड। श्रीमति केसर बाई द्वारा उप पंजियक रामगंजमण्डी में दिनांक 29.9.2008 को क्र.सं. 2008000029 पर पंजिबद्ध वसीयत कराई है जिसमें समस्त चल/अचल सम्पत्ति प्रार्थीगणों के नाम की गई है। वसीयतकर्ता केसर बाई की मृत्यु दिनांक 7.8.2020 को मृत्यु हो चूकी है अतः वसीयत के आधार पर नामान्तरणकरण की कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत विचाराधीन है। केसर बाई द्वारा दिनांक 29.9.2008 को की गई वसीयत ही अन्तिम वसीयत है।

अतः ग्राम चेचट के खसरा नम्बर 313 रकबा 2.19 हेक्टर पर केसर बाई द्वारा दिनांक 29.9.2008 को की गई वसीयत के आधार पर प्रार्थीगणों के नाम नामान्तरणकरण दर्ज करने में एवम् उक्त वर्णित वसीयत पत्र पर कोई आपत्ति हो तो आपत्तिकर्ता स्वयं या वकालतन विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 7 योम अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय समय में पेश कर सकता है। बाद मियाद केसर बाई की दिनांक 29.9.2008 की वसीयत को अन्तिम वसीयत मानकर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

तहसीलदार

रामगंजमंडी जिला कोटा

लवीना शर्मा महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव नियुक्त

रामगंजमंडी, (निसं)। राजस्थान महिला कांग्रेस में बुधवार को नियुक्त नए पदाधिकारीयों में रामगंजमंडी की महिला नेत्री लवीना शर्मा को प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी नीतू वर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीटा डिसूजा की सहमति से राजस्थान में कार्यकारिणी विस्तार करते हुए लवीना शर्मा को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। इस अवसर पर रामगंजमंडी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लवीना शर्मा का स्वागत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीटा डिसूजा, राष्ट्रीय महासचिव नीतू वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस पर स्वागत करने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह गोयंदा, पार्षद जसविंदर सिंह विक्की युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मण्डा, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष चतुर्भुज अहीर शर्मा सहित आदि शामिल थे।

कोटा में अस्थाई रैन बसेरों का शुभारम्भ

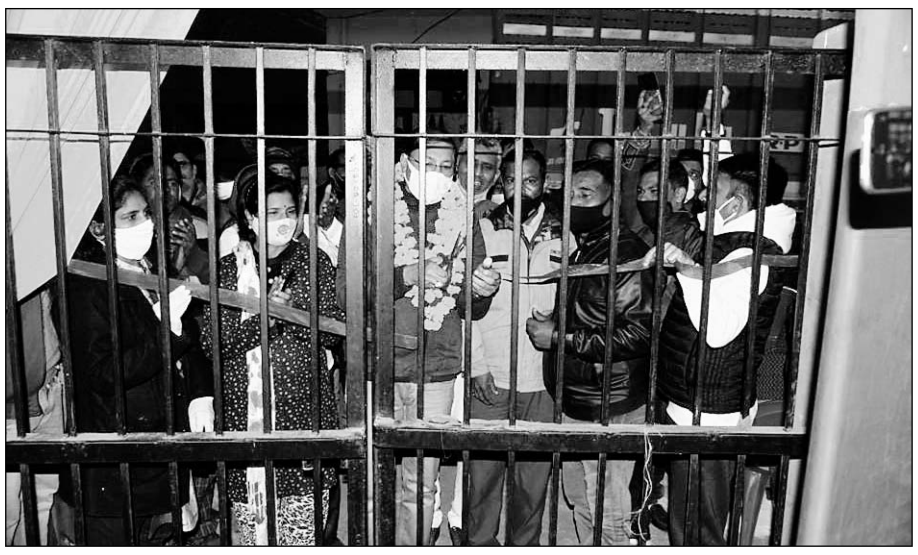

नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा शुरु किए गए रैन बसेरे का समाजसेवी अमित धारीवाल ने शुभारम्भ किया।

कोटा, (निसं)। कुन्हाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वार्ड 51 तथा माला फाटक कॉलोनी के वार्ड 11 अस्थायी रैन बसेरों का शुभारंभ समाजसेवी अमित धारीवाल के द्वारा किया गया।

नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त मालावत ने बताया कि समाजसेवी अमित धारीवाल द्वारा फीता काटकर आश्रय स्थलों का शुभारंभ किया। इस मौके पर समाजसेवी अमित धारीवाल ने कहा की स्थायी व अस्थायी रैन बसेरे 24 घण्टे खुले रहेंगें और जो व्यक्ति सर्दियों में खुले में रह रहे है और जो व्यक्ति सर्दियों में खुले में सो रहे है। वे यहां आकर आश्रय ले सकते है। साथ ही उन्होने ऑटो वाहनों का भी शुभारम्भ किया जिससे की लोगों को रैन–बसेरों के बारे में जानकारी प्राप्त हो।

समाजसेवी अमित धारीवाल ने बताया कि इन क्षेत्रों से लगातार रैन – बसेरों के लिए मांग आ रही थी और इसलिए यहां पर रैन बसेरों का संचालन जरूरी है। साथ ही उन्होंने गांधी कोलोनी में जरूरतमंद व्यक्तियों को सर्दी से बचने के लिए कंबल तथा भोजन के पैकिट वितरित किये। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुले में सोने वाले लोगों को राहत प्रदान करने की एक अनोखी पहल है। साथ ही तपन व अलाव के लिए रैन बसेरो में लकड़ियों की व्यवस्था के लिए कहा गया। जिससे की लोगों को सर्दी से राहत मिल सके।

रैन–बसेरों के शुभांरभ के दौरान पार्षद अनिल सुवालका, रचना शर्मा, साजिश खान, बशीर मोहम्मद, अमित गौड़ व वार्डवासी तथा निगम के उपायुक्त गजेन्द्र सिंह एवं डे–एन.यू.एल.एम. की प्रबंधक हेमलता गांधी उपस्थित थे।

विद्युत लाइनों के रखरखाव के कारण आज बिजली बंद

कोटा, (निसं)। विद्युत लाइनों के रखरखाव व यूआईटी के कार्यों के कारण गुरुवार को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक जयहिन्द नगर, सुखधाम कॉलोनी, श्रीनाथपुरम सेक्टर बी, सी,डी,ई, जीएडी कॉलोनी, टैगोर नगर, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक महावीर नगर 1 व 3, सेंट्रल मेडिकल एरिया, संजय सामुदायिक भवन, रंगबाड़ी सेक्टर 2, विश्वकर्मा नगर स्पेशल, महावीरनगर तृतीय, परिजात कॉलोनी, दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक स्वामी विवेकानंद नगर सेक्टर 1 से 10, विवेकानंद नगर, बॉम्बे योजना, आरकेपुरम ई, सुबह 11 से दोपहर 12.30 बजे तक नागर कॉलोनी, सामुदायिक भवन, वैभव अपार्टमेंट, श्यामा कॉलोनी, लोहनी नर्सिंग होम, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खाई रोड, करबला, दूधाधारी मंदिर, बस स्टैण्ड, श्मशान रोड, मालीपाड़ा, कोलीपुरा, नवल पार्क, हरिजन बस्ती, ब्रजराज कॉलोनी, स्माइल चौक, सब्जीमंडी, कब्रिस्तान, पंचमुखी हनुमान मंदिर, कायन हाउस, कंचन होटल, निधि पावर प्लांट, मुक्ति मार्ग, बाबा घाट, नेहरू कॉलोनी, आयुर्वेदिक अस्पताल, हाट बाजार, दूरदर्शन केंद्र, स्टेडियम, जेडीबी कॉलेज, आकाशवाणी, सीवी गार्डन, जेल रोड, बैडमिंटन हॉल, बजरंगनगर, केसर बाग, गुलाब बाग, मुखर्जी पंप हाउस, रेलवे सोसायटी, प्रगति नगर, बाल विद्यालय, बीज गोदाम, शिवाय मल्टी, राजेंद्र विहार पार्क, एचपी गैस गोदाम, ईश्वर लेन, बाल भवन विद्यालय, कालपुरिया, नयापुरा मैन रोड, चंबल पुलिया के आसपास, अग्रसेन सर्किल के आसपास, नागाजी बाग आदि स्थानों पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

लार्वा मिलने पर दो मकान मालिकों को नोटिस

कोटा, (निसं)। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। बुधवार को विभाग की 621 टीमों ने 15760 घरों का सर्वे किया। इस दौरान घरों में लार्वा मिलने पर 2 मकान मालिकों को नोटिस दिए।

सीएमएचओ डॉ भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि टीमों ने घरों में 27459 पानी के जल पात्रों जैसे पानी की टंकियां, कूलर, ड्रम, परिण्डे, गमले, फ्रीज की ट्रे और छतों पर रखे पानी जमा होने वाले टायर, कबाड़ आदि की जांच की गई तो 45 जल पात्रों/कंटेनरों में लार्वा मिला जिन्हें उपचारित किया। टीमों ने 1188 कंटेनरों को खाली कराया, 575 में टेमीफास की दवा डाली तथा 894 स्थानों पर एमएलओ डाला गया। इसके अलावा 457 कमरों में मच्छर रोधी पायरेथ्रम स्प्रे का छिड़काव भी किया।

सर्वे में आईएलआई या कोरोना जैसे लक्षण वाले 185 व्यक्ति भी मिले जिन्हें दवाईयां दी गई। हाई रिस्क ग्रुप के 65 लोगों को अस्पताल जाकर दिखाने की सलाह दी गई। इस दौरान लोगों को बीमारियों से बचाव रोकथाम संबधी जागरूकता के पम्पलेट भी बांटे व पोस्टर, स्टीकर चस्पा किए गए।

लोगों को मास्क वितरित किये

रामगंजमंडी, (निसं)। उपखड़ अधिकारी राजेश डागा व डिप्टी सौरभ तिवारी ने शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ नगर के प्रमुख प्रमुख बाजारों में मॉस्क का वितरण कर लोगों से अंतिम समझाईश कर उन्हें मॉस्क लगाने के लिए प्रेरित किया।

डागा ने कहा कि आज समझाईश की जा रही है और अब मॉस्क नही लगाया तो कार्रवाई की भी जाएगी जिसके लिए तैयार रहें। दुकानदारों से मास्क पहने ग्राहकों को ही सामान देने व बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान नहीं देने की अपील की।

जिला कलेक्टर ने पदभार ग्रहण किया

कोटा के नवनियुक्त जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने पदभार ग्रहण किया।

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने बुधवार को प्रातः कलेक्ट्रेट में पदभार ग्रहण किया तथा अधिकारियों से रूबरू होकर जिले के विकास कार्यों एवं प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में कोविड प्रबन्धन के साथ टीकाकरण के शत–प्रतिशत लक्ष्य पूरा करना प्राथमिकता में होगा। जिले में सरकार की कल्याण्कारी योजनाओं एवं फ्लैगशिप कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन तथा कार्यालय आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्याओं का वास्तविक स्तर पर निराकरण उनकी प्राथमिकता में होगा। उन्होंने शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराने एवं मॉनिटरिंग को प्रभावी बनाने के लिए भी कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्य करने वाले प्रत्येक कार्मिक को संरक्षण तथा लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कदम भी उठाये जायेंगे। अतिरिक्त कलेक्टर शहर डॉ. महेन्द्र लोढ़ा ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया, इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन राजकुमार सिंह, सीलिंग सत्यनारायण आमेठा, सीईओ जिला परिषद ममता तिवाड़ी, उपखण्ड अधिकारी दीपक मित्तल उपस्थित रहे।

- ‘जिले का विकास एवं जन-समस्या निराकरण होंगी प्राथमिकता’

अनुभाग प्रभारियों की बैठकः– जिला कलेक्टर ने पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न अनुभागों के कार्यों की समीक्षा कर निर्देशित किया कि कलेक्ट्रेट के स्तर पर कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं रहे। विभागों एवं सरकार के स्तर से आने वाले पत्रों का समय पर जवाब के साथ आम नागरिकों के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की जाये।

राजस्थान सरकार वन विभाग

कमांकः प.1 (100) वन/2021 जयपुर दिनांक 7.1.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)

राजस्थान, जयपुर

विषयः Diversion of 0.726 ha. of forest land in Favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. For OFC Laying Work Along Existing PWD Road (with in ROW) from Khanpur- Jhalawar- Suket from Lat/ long Point 24.613123/ 76.275544 to 24.584378/ 76.209328 & 24.63174/ 76.066108 to 24.603836/ 76.122661 for total length and Area applied in Forest & non forest is 16.133KM & 0.726 ha.& 3.551 KM & 0.160 ha. Respectively in Jhalawar District- Rajasthan (FP/RJ/OFC/44164/2020

संदर्भः आपका पत्रांक एफ 14 (390/36)2020/एफसीए/प्रमुवस/3449 दि. 2.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Jio Digital Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में OFC Cable Line हेतु 0.726 हेक्ट.वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरांत प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अर्न्तगत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा–निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.726 ha. of forest land in Favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. For OFC Laying Work Along Existing PWD Road (with in ROW) from Khanpur- Jhalawar- Suket from Lat/ long Point 24.613123/ 76.275544 to 24.584378/ 76.209328 & 24.63174/ 76.066108 to 24.603836/ 76.122661 for total Length and Area applied in Forest & non forest is 16.133 KM & 0.726 ha.& 3.551 KM & 0.160 ha. Respectively in Jhalawar District- Rajasthan की सैद्धांतिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तो के अध्याधीन प्रदान करती है:

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनकें संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदुरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्य रत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस -पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दि.24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बी.प्रवीण) शासन सचिव

पश्चिम मध्य रेल सामग्री प्रबंधन विभाग

माल डिब्बा मरम्मत कारखाना – कोटा

भंडार आपूर्ति हेतु "ई"–निविदा सूचना संख्या E-66215696)

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक, माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, पश्चिम मध्य रेल– कोटा, भारत के राष्ट्रपति की ओर ई–खरीद प्रणाली के जरिए निम्नलिखित विज्ञापन निविदा आमंत्रित करते है। कोई भी व्यक्तिगत/डाक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएगें। पूर्ण विवरण / विनिर्देशन के लिए **website: https://www.ireps.gov.in** पर ई निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। **Tender No.** - E-66215696, **Short Description-** Liquid and Gas Eduction Valve for BTPGLN Wagon, **Tendered Qty.** - 96 Nos. Sets, **Opening Date** - 18/02/2022 12:30 Hrs., **Earnest Money-** 87030/-, **Estimated Value (INR)** - 4351488/-

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, कोटा

कोरोना को भगाना है, मास्क व वैक्सीन लगाना है